

18.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़